कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी.- 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 70/2026

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 19.02.2026

डॉ0 अनिल कुमार, पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 19.02.2026 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्न कार्यवाहियां की गयी।

प्रेस नोट

थाना – निजामाबाद, जनपद – आजमगढ़

मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत त्वरित कार्यवाही

किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

डॉ० अनिल कुमार, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ के निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी के पर्यवेक्षण में चलाये जा रहे *मिशन शक्ति 5.0 अभियान* के अंतर्गत थाना निजामाबाद पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने व वीडियो बनाकर धमकी देने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

☐ **घटना का संक्षिप्त विवरण**

दिनांक 14.02.2026 को एक नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर ईंट भट्ठे के पास एक कमरे में बंद कर दिया गया, जहाँ अभियुक्त द्वारा उसके साथ दुष्कर्म किया गया तथा उसकी पत्नी द्वारा घटना का वीडियो बनाकर जान से मारने की धमकी दी गई। प्रकरण के संबंध में दिनांक 16.02.2026 को थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 50/26 धारा 65(1), 127(2), 61(2), 351(3) BNS व 5L/6 पोक्सो एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया। विवेचना थानाध्यक्ष हीरेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा की जा रही है।

☐ **गिरफ्तारी का विवरण**

दिनांक 19.02.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना निजामाबाद पुलिस टीम द्वारा वांछित अभियुक्त **अब्दुल्ला पुत्र सोहराब निवासी रोवा थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़, उम्र लगभग 26 वर्ष** को बड़ागाँव नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया।

जामा तलाशी के दौरान एक अदद नीले रंग का रेडमी एंड्रॉयड मोबाइल फोन बरामद हुआ। अभियुक्त को नियमानुसार माननीय न्यायालय भेजा गया।

☐ **पंजीकृत अभियोग**

मु0अ0सं0 50/26 धारा 65(1), 127(2), 61(2), 351(3) BNS व 5L/6 पोक्सो एक्ट, थाना निजामाबाद, आजमगढ़

☐ **बरामदगी**

- एक अदद मोबाइल फोन

☐ **आपराधिक इतिहास**

1. मु0अ0सं0 50/26 धारा 65(1), 127(2), 61(2), 351(3) BNS व 5L/6 पोक्सो एक्ट थाना निजामाबाद
2. मु0अ0सं0 58/25 धारा 87, 137(2), 351(3) BNS थाना निजामाबाद

☐ **गिरफ्तारी करने वाली टीम**

1. थानाध्यक्ष हीरेन्द्र प्रताप सिंह
2. उ0नि0 चित्रांशु मिश्रा
3. हे0का0 नरेन्द्र नारायण यादव
4. का0 विक्रांत विश्वकर्मा
5. का0 अनिल गुप्ता

प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक- 19.02.2026, जनपद आजमगढ़

"**ऑपरेशन कनविक्शन/मिशन शक्ति**" अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 आरोपी अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा नाबालिग के साथ छेड़छाड़ के आरोप में दोषी करार देते हुए 03 **वर्ष के कठोर कारावास व 5000/- रुपये के अर्थदण्ड** से दण्डित किया गया।

थाना बिलरियागंज में पंजीकृत अपराध जिसमें नाबालिग के साथ छेड़छाड़ के **आरोप मे 01 अभियुक्त को** 03 **वर्ष के कठोर कारावास व 5000/- रुपये के अर्थदण्ड** से दण्डित किया गया।

➡ दिनांक- 28.10.2015 को वादी मुकदमा थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ ने लिखित तहरीर दी थी कि अपनी लड़की जो मानसिक रुप से कमजोर व मिर्गी की बीमारी से पीड़ित है को मै साथ लेकर **अभियुक्त डा0 राकेश लाल श्रीवास्तव S/O राधे लाल श्रीवास्तव निवासी मानपुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़** के यहाँ दिखाने गया था कुछ आवश्यक कार्य से मै अपनी लड़की को डाक्टर के यहाँ छोड़कर बाहर चला गया उसी समय डाक्टर नें मेरी लड़की को अकेला पाकर उससे छेड़छाड़ व अश्लील हरकत किया।

➡ अभियुक्त के विरूद्ध थाना बिलरियागंज पर मु0अ0सं0-211/2015 धारा-354,376 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट व 3(1)(12) SC/ST एक्ट पंजीकृत किया गया।

➡ अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।

➡ मुकदमा उपरोक्त में 7 गवाह परीक्षित हुए है।

➡जिसके क्रम में दिनांक-19.02.2026 को मा0 न्यायालय विशेष पाक्सो कोर्ट आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित **अभियुक्त डा0 राकेश लाल श्रीवास्तव S/O राधे लाल श्रीवास्तव निवासी मानपुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए** 3 **वर्ष के कठोर कारावास व 5000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक- 19.02.2026 जनपद आजमगढ़

"**ऑपरेशन कनविक्शन/मिशन शक्ति**" अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 आरोपी अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में दोषी करार देते हुए **7 वर्ष के कठोर कारावास व 8000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

थाना कोतवाली में पंजीकृत अपराध जिसमें नाबालिग के साथ साथ दुष्कर्म करने के **आरोप मे 01 अभियुक्त को 07 वर्ष के कठोर कारावास व 8000/- रुपये के अर्थदण्ड** से दण्डित किया गया।

➡ दिनांक- 11.03.2013 को वादिनी मुकदमा थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ ने लिखित तहरीर दी थी कि **अभियुक्त रामानन्द राजभर पुत्र रामरुप राजभर निवासी म0नं0-39 पुलिस लाईन आजमगढ़ के द्वारा मेरी नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाना व उसके साथ दुष्कर्म करना।**

➡ अभियुक्त के विरूद्ध थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0-365/2013 धारा-363,366,376 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया।

➡ अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।

➡ मुकदमा उपरोक्त में 7 गवाह परीक्षित हुए है।

➡जिसके क्रम में दिनांक-19.02.2026 को मा0 न्यायालय विशेष पाक्सो कोर्ट आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित **अभियुक्त रामानन्द राजभर पुत्र रामरुप राजभर निवासी म0नं0-39 पुलिस लाईन आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए 07 वर्ष के कठोर कारावास व 8000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक- 19.02.2026 जनपद आजमगढ़

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 03 आरोपी अभियुक्तो को **एकराय होकर मारने पीटने** के आरोप में मा0 न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए प्रत्येक को 6 माह के सश्रम कारावास व 1700 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

थाना महराजगंज में पंजीकृत अपराध जिसमें एकराय होकर मारने पीटने के 03 आरोपी अभियुक्तो प्रत्येक को 06 माह के सश्रम कारावास व 1700 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

➡ दिनांक- 05.02.1994 को वादी मुकदमा **गंगा प्रसाद यादव पुत्र स्व0 सरजू यादव** निवासी टोनारी थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़ ने थाने पर लिखित तहरीर दी कि **अभियुक्तगण 1. राज नारायन उर्फ राम नरायन पुत्र स्व0 छत्रधारी यादव 2. हरिनारायन पुत्र स्व0 छत्रधारी यादव 3. सत्य नारायन पुत्र स्व0 छत्रधारी यादव निवासीगण टोनारी थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़ के द्वारा एकराय होकर वादी पक्ष को गाली गलौज देते हुए मारना पीटना।**

➡ अभियुक्त के विरूद्ध थाना महराजगंज पर मु0अ0सं0-57A/1994 धारा-147,148,149,323,324,504 भादवि पंजीकृत किया गया।

➡ अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।

➡ जुर्म स्वीकृत के आधार पर।

➡ जिसके क्रम में दिनांक- 18.02.2026 को मा0 न्यायालय ए0सी0जे0एम0-11 कोर्ट आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित **अभियुक्तगण 1. राज नारायन उर्फ राम नरायन पुत्र स्व0 छत्रधारी यादव 2. हरिनारायन पुत्र स्व0 छत्रधारी यादव 3. सत्य नारायन पुत्र स्व0 छत्रधारी यादव निवासीगण टोनारी थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए प्रत्येक को 06 माह के सश्रम कारावास व 1700 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक- 19.02.2026 जनपद आजमगढ़

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 02 आरोपी अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा मारपीट कर गम्भीर चोट पहुचाने के आरोप में दोषी करार देते हुए **प्रत्येक को न्यायालय उठने तक की सजा व 1500/- रुपये के अर्थदण्ड** से दण्डित किया गया।

थाना अतरौलिया में पंजीकृत अपराध जिसमें मारपीट कर गम्भीर चोट पहुचाने के 02 **आरोपी अभियुक्तो को न्यायालय उठने तक की सजा व 1500/- रुपये के अर्थदण्ड** से दण्डित किया गया।

➞ दिनांक- 25.06.2002 को वादी मुकदमा श्री कपिल देव पाण्डेय पुत्र शीतला प्रसाद निवासी रुकमलपुर थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ ने थाने पर लिखित तहरीर दी कि दिनांक-07.06.2002 को **अभियुक्तगण 1. रामपलट वर्मा पुत्र दुम्सू वर्मा 2. राजेश वर्मा उर्फ अजय वर्मा पुत्र राम समुझ वर्मा निवासीगण रुकमलपुर थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ के द्वारा वादी पक्ष को मारपीट कर गम्भीर चोट देना।**

➞ अभियुक्त के विरूद्ध थाना अतरौलिया पर मु0अ0सं0- 175/2002 धारा-325,323,504 भादवि पंजीकृत किया गया।

➞ अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।

➞ जुर्म स्वीकृति के आधार पर।

➞ जिसके क्रम में दिनांक- 18.02.2026 को मा0 न्यायालय जे0एम0 कोर्ट नं0 -12 आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित **अभियुक्तगण 1. रामपलट वर्मा पुत्र दुम्सू वर्मा 2. राजेश वर्मा उर्फ अजय वर्मा पुत्र राम समुझ वर्मा निवासीगण रुकमलपुर थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए प्रत्येक को न्यायालय उठने तक की सजा व 1500/- रुपये के अर्थदण्ड** से दण्डित किया गया।

प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक- 19.02.2026 जनपद आजमगढ़

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 08 आरोपी अभियुक्तो को एकराय होकर मारने पीटने व फसल को जला देने के आरोप में मा0 न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए प्रत्येक को 6 माह के सश्रम कारावास व 2000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

थाना महराजगंज में पंजीकृत अपराध जिसमें एकराय होकर मारने पीटने व फसल को जला देने के 08 आरोपी अभियुक्तो प्रत्येक को 6 माह के सश्रम कारावास व 2000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

➞ दिनांक- 05.02.1994 को वादी मुकदमा छत्रधारी यादव पुत्र बृज मोहन यादव निवासी टोनारी थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़ ने थाने पर लिखित तहरीर दी कि **अभियुक्तगण 1. गंगा प्रसाद यादव पुत्र स्व0 सरजू यादव 2. हरिकेश पुत्र स्व0 राम प्रसाद 3. पार्वती पत्नी गंगा प्रसाद 4. बासमती पत्नी स्व0 राम प्रसाद 5. प्रेमा देवी पुत्री गंगा प्रसाद 6. राम दरस पुत्र स्व0 हसई 7. राम विनय पुत्र स्व0 हंसराज 8. राजेश पुत्र स्व0 हसई निवासीगण टोनारी थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़ के द्वारा एकराय होकर वादी पक्ष को मारना पीटना व फसल मे आग लगाकर जला देना।**

➞ अभियुक्त के विरूद्ध थाना महराजगंज पर मु0अ0सं0-57/1994 धारा-147,148,149,323,324,435 भादवि पंजीकृत किया गया।

➞ अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।

➞ जुर्म स्वीकृत के आधार पर।

➞ जिसके क्रम में दिनांक- 18.02.2026 को मा0 न्यायालय ए0सी0जे0एम0-11 कोर्ट आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित **अभियुक्तगण 1. गंगा प्रसाद यादव पुत्र स्व0 सरजू यादव 2. हरिकेश पुत्र स्व0 राम प्रसाद 3. पार्वती पत्नी गंगा प्रसाद 4. बासमती पत्नी स्व0 राम प्रसाद 5. प्रेमा देवी पुत्री गंगा प्रसाद 6. राम दरस पुत्र स्व0 हसई 7. राम विनय पुत्र स्व0 हंसराज 8. राजेश पुत्र स्व0 हसई निवासीगण टोनारी थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए प्रत्येक को 6 माह के सश्रम कारावास व 2000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**